

ह. प्र. को पूर्व-भवावकी
के विद्या हाक द्वारा भेजे जाये
के सिधे अनुसूच अनुसूचिपत्र
ए. पी. को 49

पंजी क्रमांक एम. पी.—533



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

पाधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर 1971—अप्रहायण 23, शके 1893

राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 1971.

क्र. 3870-मान-सा-एक.—मध्यप्रदेश लेण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (20 मन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह निर्देश देता है कि दिनांक 14 दिसम्बर 1971 से भोपाल संभाग की सीमाएं इस प्रकार से परिवर्तित की जायेगी, जिससे कि होशंगाबाद का संपूर्ण जिला उसमें अर्पणित हो जाये और उक्त दिनांक से होशंगाबाद का एक नया संभाग सृजित करता है. जिसमें होशंगाबाद का संपूर्ण जिला समाविष्ट होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शं. ह. आबले, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 1971.

क्र. 3874-मान-सा-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिमूर्चना क्र. 3870-मान-सा-एक, दिनांक 13 दिसम्बर 1971 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शं. ह. आबले, सचिव.

Bhopal, the 13th December 1971.

No. 3870-VII-NI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959), the State Government hereby directs that with effect from the 14th December 1971, the limits of Bhopal Division shall be so altered as to exclude therefrom the whole of Hoshangabad district and creates with effect from the said date a new division of Hoshangabad comprising of the whole of Hoshangabad district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. H. AOLE, Secy.

1871

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मन्त्रालय, भोपाल
से मुद्रित तथा प्रकाशित—1971.